र्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर, जिला सलूम्बर

र्थी श्री गोता व अन्य — **विपक्षी** श्री उंकार व अन्य

स्म धारा–212 आर.टी.ए. — **प्रकरण संख्या** 37 / 2020

	कार्यवाही विवरण (जी.सी.एम.एस. नम्बर–2020 / 00054)	
)-05–2026	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है। प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 जा.दि. व धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण खातादारी आराजीयात की भूमि मौजा धावडा पटवार हल्का घटेड खाता संख्या 96 आराजी नम्बर 913 / 0.35, 989 / 912 / 0.12 कुल किता 02 रकबा 0.47 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण की आराजीयात की भूमि पर विपक्षीगण जबरन कब्जा करने पर उतारू हो रहा है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित फरमाई जावे कि विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार से कोई अतिक्रमण, दखलंदाजी नुकासान नही करें साथ ही अपने नौकर या अन्य रिश्तेदारों से कब्जा नहीं करावें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र वैष्णव ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण मे आदेशिका दिनांक 27–09–2022 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। पत्रावली मे जवाब विपक्षीगण हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने से आदेशिका दिनांक 17–12–2025 को विपक्षीगण के जवाब का अवसर बन्द किया गया। तद्पश्चात पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं मूलवाद के निस्तारण तक पूर्व जारि अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पाबंद किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। विपक्षीगण ने न्यायालय मे हाजिर होकर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के खण्डन मे कोई जवाब पेश नही किया। अतः आदेशिका दिनांक 27–09–2022 को जारि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूलवाद के निस्तारण तक कन्फर्म की जाती है एवं विपक्षीगण को मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात की भूमि में किसी प्रकार से कोई अतिक्रमण, अथवा दखलंदाजी नही करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। पत्रावाली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (जगदीश चन्द्र बामनिया RAS) उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर सहायक कलक्टर सलूम्बर जिला सलूम्बर	

सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)